**बिहार सरकार**
**सहकारिता विभाग**

## अधिसूचना

पटना, दिनांक 11/08/26

सं0सं0–01/रा॰ स्था॰ (नियुक्ति)–58/2026 सह॰ 4498 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग, वर्ग–2 (समूह–'ख') में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल–9 (रू0 53100–167800) में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ, औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त करते हुए सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित किया जाता है :–

| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम | रौल नं० | जन्म तिथि | गृह जिला | मेधा क्रमांक | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री अभिजीत श्रीवास्तव | 471195 | 10.02.1990 | देवरिया (उत्तर प्रदेश) | 357 | 01 |
| 2. | सुश्री रूचि सिंह | 570226 | 28.01.2000 | गयाजी | 379 | 01 |
| 3. | सुश्री सिमरन सिन्हा | 526976 | 09.02.1998 | नालन्दा | 465 | 05 |
| 4. | श्री विद्या राज | 311052 | 10.02.1999 | नवादा | 2645 | 02 |

i. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः (06) माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित की जा सकेगी।

ii. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

iii. वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–2160 दिनांक–05.02.2025 के आलोक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि तथा उनकी आपसी वरीयता निर्धारित होगी।

iv. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0–1991, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

v. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय निश्चित रू नियोक्ता का अनापत्ति / विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थि में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

vii. प्रत्येक अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे मूल रूप में योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

viii. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात यथाशीघ्र योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने अथवा योगदान की अवधि विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

ix. योगदान / प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

x. प्रशिक्षण अवधि में सभी नवनियुक्त पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान मुख्यालय से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

**(स्मृति कुमारी)**

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक........................................ / पटना, दिनांक..........................................

01 / रा0स्था0 (नियुक्ति)–58 / 2026 सह०

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक........................................ / पटना, दिनांक..........................................

**प्रतिलिपिः–** माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गयाजी / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (डी0एन0एस0), पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, बिहार / सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–08 एवं प्रशाखा–04, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों का PRAN NO. आवंटित करने एवं HRMS Portal में Onbording करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 4498 /पटना, दिनांक 11/08/26

**प्रतिलिपिः–** प्रभारी पदाधिकारी (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ दो हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में/आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/8/26

सरकार के उप सचिव।